न्यायालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 97 / 16 तारीख रजू :– 24.08.2016

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य आर.ए.एस.

उनवान

पदमसिंह पुत्र भंवरसिंह, आयु 72 साल, जाति राजपूत, निवासी मेहन्दीपुर, फतेहसिंह का बांस, तहसील टोडाभीम, जिला करौली राज0।

वादीगण

बनाम

1	हेमसिंह	पि0 श्रवणसिंह	जाति राजपूत, निवासी मेहन्दीपुर फतेहसिंह का बांस तह टोडाभीम जिला करौली राज0
2	रघुवीरसिंह		
3	मानसिंह	पि. शैतानसिंह	
4	नन्दसिंह		
5	रामसिंह		
6	गोविन्दसिंह	पि. सुल्तानसिंह	
7	जगदीश सिंह		
8	महेन्द्र सिंह	पि. अर्जुनसिंह	
9	गिर्राज सिंह		

10 तहसीलदारजी (सब रजिस्ट्रार) टोडाभीम जिला करौली राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 वादी की ओर से:– सुनील कुमार जिन्दल एड.

2 प्रति.नं. 1 ता 10 की ओर से – कोई उपस्थित नही

निर्णय दिनांक– 13.04.2017

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी ने दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी हाल ख0नं0 51 रकबा 4 ऐयर, 51/574 रकबा 20 ऐयर, 54 रकबा 15 ऐयर, 55 रकबा 4 ऐयर, 56 रकबा 3 ऐयर, 125 रकबा 4 ऐयर, 126 रकबा 10 ऐयर, 127 रकबा 12 ऐयर, 128 रकबा 10 ऐयर, 129 रकबा 7 ऐयर, 131 रकबा 37 ऐयर, 131/575 रकबा 4 ऐयर कुल किता 12 कुल रकबा 1.30है0 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर तह0 टोडाभीम है। जो वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। वादी तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पिता श्रवणसिंह तथा प्रतिवादी नं0 3 ता 5 व 6 ता 9 के पिता सुल्तानसिंह व अर्जुनसिंह, मुन्नी देवी पत्नि मदनसिंह, काडूराम पुत्र प्रभुदयाल मीना की शामलाती खातेदारी की भूमि ख0नं0 51 रकबा 4 ऐयर, 57 रकबा 3 ऐयर, 130 रकबा 1 ऐयर, 49/568 रकबा 5 ऐयर, 51/574 रकबा 73 ऐयर, 54 रकबा 54 ऐयर, 55 रकबा 13 ऐयर, 56 रकबा 11 ऐयर, 131/575 रकबा 16 ऐयर, 125 रकबा 13 ऐयर, 126 रकबा 30 ऐयर, 127 रकबा 36 ऐयर, 128 रकबा 30 ऐयर, 129 रकबा 21 ऐयर, 131 रकबा 9 ऐयर स्थित ग्राम मेहन्दीपुर तह0 टोडाभीम थी। जिसमें वादी हिस्सा 7/18 का खातेदार काश्तकार था। वादी ने अपने 7/18 हिस्से का बंटवारा कराने हेतु न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम के समक्ष एक उनवानी दावा पदमसिंह बनाम सुल्तानसिंह वगै0 बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायालय द्वारा 03.05.2007 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री कर दिनांक 16.02.2009 को बाद जॉच रिपोर्ट कमिश्नर वादी का दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात फाईनल डिक्री किया गया और वादी को अपने 7/18 हिस्से में ख0नं0 51 रकबा 4 ऐयर, 51/574 रकबा 20 ऐयर, 54 रकबा 15 ऐयर, 55 रकबा 4 ऐयर, 56 रकबा 3 ऐयर, 125 रकबा 4 ऐयर, 126 रकबा 10 ऐयर, 127 रकबा 12 ऐयर, 128 रकबा 10 ऐयर, 129 रकबा 7 ऐयर, 131 रकबा 37 ऐयर, 131/575 रकबा 4 ऐयर की

उपजिला कलेक्टर (करौली) राज0

उप जिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner

खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर अलग से खाता संख्या दर्ज कर दिया और वादी ने अपने बंटवारे में हिस्से आयी सम्पूर्ण भूमि पर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा मेहन्दीपुर बालाजी के यहॉ सन् 2010 में रहन रखकर ऋण ले लिया उक्त भूमि पर वादी का मौके पर कब्जा चला आ रहा है। जिसमें वादी को कभी कोई परेशानी नही हुई। आराजी मुतजिका मद नं0 1 वाद पत्र से प्रतिवादी नं0 1 ता 9 का कोई संबंध किसी प्रकार से नही रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण नं0 1 ता 9 झगडालू किस्म के व्यक्ति है। और वादी की वृद्धावस्था होने के कारण वादी की आराजी मुतजिक्र मद नं0 1 वाद पत्र को प्रतिवादी नं0 1 ता 8 हडपने की फिराक में रहते है और आये दिन प्रतिवादीगण वादी को फसल काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करने लगे। दिनांक 26.07.2016 को प्रतिवादी नं0 1 ता 8 ने मिलकर वादी की आराजी मुतजिका मद नं0 1 वाद पत्र को जबरन जोत दिया और वादी को गैरकानूनी रूप से प्रतिवादी नं0 1 ता 8 की खातेदारी में मिला लिया। प्रतिवादी नं0 1 ता 8 द्वारा वादी की भूमि पर जबरन किये गये कब्जे व अतिक्रमण को हटाने बाबत् वादी ने थानाधिकारी टोडाभीम व तहसीलदार टोडाभीम के यहॉ परिवाद पेश किया। थानाधिकारी व तहसीलदार ने परिवाद रख लिया और प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की। वादी ने ग्राम मेहन्दीपुर में प्रतिष्ठित लोगो की मिटिंग भी बुलाई और प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने को कहा, लेकिन प्रतिवादीगण ने कब्जा नही हटाया और वादी को धमकी दी कि तुमने हमारे खिलाफ कोई मुकदमा किया तो तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर देगे। जिस कारण वादी ने यह दावा पेश किया है। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 ता 7 व 9 ता 10 बावजूद तामील उपस्थित नही हुये। जिस कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी नं0 8 के सम्मन पर

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

फौत होने की रिपोर्ट आयी प्रतिवादी नं0 8 के विरूद्ध वादी ने कोई कार्यवाही नही करना जाहिर किया। जिस कारण प्रतिवादी नं0 8 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज रेवन्यू रिकार्ड प्रदर्शन डिक्री न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम तारीखी 16.02.2009 उनवानी पदमसिंह बनाम सुल्तानसिंह वगै. फोटो कॉपी 6(1), प्रदर्श–2 हाल जमाबन्दी खाता संख्या 89 ग्राम मेहन्दीपुर तथा मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी. डब्ल्यू. पदमसिंह, पी डब्ल्यू 2 पदमसिंह तथा पीडब्ल्यू 3 रामस्वरूप के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से दावा वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को आराजी ख0नं0 51 रकबा 4 ऐयर, 51/574 रकबा 20 ऐयर, 54 रकबा 15 ऐयर, 55 रकबा 4 ऐयर, 56 रकबा 3 ऐयर, 125 रकबा 4 ऐयर, 126 रकबा 10 ऐयर, 127 रकबा 12 ऐयर, 128 रकबा 10 ऐयर, 129 रकबा 7 ऐयर, 131 रकबा 37 ऐयर, 131/575 रकबा 4 ऐयर कुल किता 12 कुल रकबा 1.30है0 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर तह0 टोडाभीम से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है कि वे पुलिस इमदाद से उक्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को कब्जा संभलवाये तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण उक्त आराजी मुतजिका मद नं0 1 वाद पत्र में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे, प्रतिवादीगण उक्त आराजी के संबंध में कोई ऐसा कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे हक हकूक वाद प्रतिकूल प्रभाव पडता हो। प्रतिवादीगण वादी को उक्त आराजी से

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

97/11.

बेदखल न करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner